



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 289/15

निर्णय दिनांक: 13.08.2018

1. कानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी चक 68 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 16-07-2009
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 16-07-2009 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 33 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 127/35 में 10 बीघा

कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 14 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की जाँच के उपरान्त अपीलांट को वादगत् भूमि का पात्र धोषित करते हुए उक्त रकबे का आवंटन दिनांक 11-08-2008 को कर दिया गया। अदालत मातमहत द्वारा दिनांक 16-07-2009 को उक्त रकबे को 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-07-2009 के विरुद्ध अपील 27-04-2014 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात् 20 प्रतिशत

राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-07-2009 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 27-04-2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत भूमि के समक्ष चक 33 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 127/35 में 10 बीघा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 14 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की जाँच के उपरान्त अपीलांट को वादगत् भूमि का पात्र घोषित करते हुए उक्त रकबे का आवंटन दिनांक 11-08-2008 को कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16-07-2009 को उक्त रकबे को 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया।

अपीलांट को उक्त आवंटन के पश्चात् निर्धारित अवधि अर्थात् 6 माह के भीतर आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जानी अपरिहार्य थी। अपीलांट द्वारा निर्धारित अवधि में न तो स्वयं उपस्थित आया व न ही आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि ही जमा करवाई गई।

(3) आवंटन नियमों के तहत विशेष आवंटन के नियम 13 ए के अनुसार यदि आवंटन अवधि के 6 माह के भीतर-भीतर निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(4) अपीलांत निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को दिनांक 24-11-2008 व 30-01-2009 को नोटिस जारी किये गये कि वे आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि सति उपस्थित आवे। अपीलांत उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की पालना में निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु उपस्थिति नही आने पर अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांत का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 16-07-2009 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर